21.11.19 पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभय/पत्रावली मांत
जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.19 को पेश हो।

18/12/19 पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभय पक्षकार।
वादिनी जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.20 को देवे।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

16.1.202 पत्रावली पेश हुई। वार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
सांकेतिक तौरकी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
स्थानीय पहलेदार चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
/अवकाश से प्रत्यावर्तन से पत्रावली
13/2/2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

13.2.20 पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभय पक्षकार। वादिनी
पालना दिनांक 12.3.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

12/3/2020 पत्रावली पेश हुई। अधि० उभय पक्ष उपस्थित
प्रतिवादी के अधिवक्ता जवाब नहीं देना चाहते
बहस की। बहस में प्रतिवादी अधि० ने कथन किया कि
कोई नक्शा निर्णय नहीं किया है। ना ही पक्का
निर्माण है। यह कच्चा वाद के कब्जे से मुक्त
ही है। वाद के सम्बन्धी पक्षकार ने कोई मुकी
लिखित का जवाबपत्र भी पेश नहीं किया था
अतः इनके न्यूसेन्स आदेश की क्रियान्वयन नहीं की
है। मूल दावे में PO के आदेश हो चुके हैं।
अतः कन्टेम्प्ट प्रार्थना पत्र खारिज करना मांगे
मूल दावे में PO के आदेश हो चुके हैं। कोई नक्शा
अथवा पक्का निर्माण नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज
किया जाता है। पत्रावली कैलेण्डर खुमार होकर नम्बर
से रूम हो। कैलेण्डर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/2020

Scanned by CamScanner